फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

कंचन कंवर बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 128 एल0आर0ए0 मु0नं0– 110/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.02.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि खसरा नंबर 350, 356, 363, 359 वाके ग्राम लांका तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार बहरावण्डा के आदेश से किया जा चुका है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान कर पत्थरगढी किए जाने हेतु तहसीलदार बहरावण्डा को आदेश दिए जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पत्रांक भू0अ0/2025/2422 दिनांक 09.12.2025 द्वारा रिपोर्ट पेश की है जिसमें अंकित किया गया है कि वर्तमान में उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर 25–30 परिवार पुख्ता पुराना निर्माण बना कर आवास कर रह रहे है। उक्त पुख्ता निर्माण के उपर पत्थरगढी किया जाना संभव नहीं है। उक्त से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की विवादित भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं है एवं मौके पर पुख्ता निर्माण है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कियाजाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थाना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	